पत्र सं0– वि॰प्रा॰ (III) य[1] –11/2013–

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना

/पटना, दिनांक

विषय– विभागान्तर्गत नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक, सीवान के नवनिर्मित स्थायी परिसर में नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा विद्युत लाईन पहुँचाने के लिए पर्यवेक्षण शुल्क एवं जी॰एस॰टी॰ सहित कुल रू॰ 9,17,100=00 (नौ लाख सत्रह हजार एक सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, सीवान के पत्रांक–172, दिनांक 13.09.2019 के माध्यम से उपलब्ध कराये गए विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीवान द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर डिपोजिट वर्क अन्तर्गत संस्थान के नवनिर्मित स्थायी परिसर में नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा विद्युत लाईन पहुँचाने के लिए पर्यवेक्षण शुल्क एवं जी॰एस॰टी॰ सहित कुल रू॰ 9,17,100=00 (नौ लाख सत्रह हजार एक सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य स्कीम बजट के के "मुख्य शीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय" के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43 4202021040102 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी राजकीय कोषागार, सीवान से की जायेगी तथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया जायेगा। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2019–20 में विभाग के लिए संसूचित योजना उदव्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि॰, दिनांक 31.05.2017 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1] –11/2013– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1] –11/2013– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1] –11/2013– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, सीवान को सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰ (III) य[1] –11/2013– 3547 /पटना, दिनांक– 21-10-019

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर (E-mail एवं विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/x/19

सरकार के उप सचिव